महिला अधिकार अभियान

# परित्यक्त
## भारतीय महिला
# परेशान
## एनआरआई से विवाह करके
# समाधान जानिए

- दांडिक कार्यवाही
- सिविल कार्यवाही
- बच्चों की अभिरक्षा
- परित्यक्त भारतीय महिलाओं के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम
- राष्ट्रीय महिला आयोग समन्वयक एजेंसी
- हेल्पलाइन और आपातकालीन संपर्क सूत्र


राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

# संदेश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली–110002

"अनिवासी भारतीयों से विवाह" में होने वाली समस्याओं को विगत वर्षों के दौरान सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया गया है जिसका कारण यह है कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के साथ कपटपूर्ण वैवाहिक संबंध में फंस गई भारतीय महिलाओं की समस्याएं अत्यधिक चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी हैं।

इसके फलस्वरूप ऐसी महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए अविलम्ब रक्षोपाय करने तथा उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और उन्हें विदेश के कानूनों तथा विशेषकर विदेशी भूमि पर घरेलू हिंसा सहित किसी प्रकार के दुर्व्यवहार के विरुद्ध उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस हुई।

यह समस्या महिलाओं के अपने घर से काफी दूर विदेश में होने, भाषा संबंधी बाधाओं, संप्रेषण की समस्याओं का सामना करने तथा स्थानीय दंड न्याय प्रणाली के बारे में उपयुक्त जानकारी के अभाव के कारण स्वयं को अलग–थलग महसूस करने के कारण और भी गंभीर हो जाती है।

समस्या की गंभीरता को महसूस करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अनिवासी भारतीय से विवाह की शिकार पीड़ित महिला के लिए उपयोगी विभिन्न सूचनाओं/उपचारात्मक उपायों से युक्त एक पुस्तिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। इस पुस्तिका में उपलब्ध कराई गई सूचना से न केवल निकट भविष्य में विवाह के बंधन में बंधने जा रही महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न होगी बल्कि यह सूचना एनआरआई और पीआईओ पति द्वारा परित्यक्त महिलाओं को बहुत अधिक राहत भी उपलब्ध कराएगी।

चूंकि राष्ट्रीय महिला आयोग को अनिवासी भारतीय (एनआरआई) से विवाह के संबंध में शिकायतों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी (केंद्रक अभिकरण) बनाया गया है, अतः यह ऐसी पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए अथक प्रयास करता रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने विदेश में परित्यक्त महिला को विधिक/वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपनी स्कीम के कार्यक्षेत्र में विस्तार के लिए इसे संशोधित किया है।

मुझे आशा है कि यह पुस्तिका अनिवासी भारतीय (एनआरआई) से विवाह के कारण पीड़ित महिलाओं के लिए उपयोगी और सूचनाप्रद होगी।

ममता शर्मा

**ममता शर्मा**
अध्यक्षा

राष्ट्रीय महिला आयोग • NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

# संदेश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली–110002

विवाह एक अत्यधिक मांगलिक अवसर है जबकि न केवल दो व्यक्तियों का गठबंधन होता है बल्कि दो परिवारों का भी पारस्परिक मिलन होता है। प्रायः माता–पिता अपनी पुत्री को विदेश भेजने की ललक में उसका विवाह तय करते समय बरती जाने वाली आधारभूत सावधानियों की अवहेलना करते हैं जिससे उनकी पुत्री का वैवाहिक जीवन तृप्ति और प्रसन्नता तथा प्रेम से परिपूर्ण न रहकर एक विनाशकारी अग्निपरीक्षा बनकर रह जाता है तथा अंततः निर्दोष लड़की को एक संक्षिप्त हनीमून के पश्चात अकेली छोड़कर उसका पति गायब हो जाता है।

चूंकि ऐसे मामलों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अतः आवश्यकता इस बात की है कि विशेषकर अर्द्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विदेश में रह रहे दूल्हे के पूर्ववृत्त का उपयुक्त सत्यापन किए बिना उसके साथ वैवाहिक संबंध तय करने में निहित जोखिम के बारे में जागरूक बनाया जाए। अकेली छोड़ देने तथा परित्यक्त कर दिए जाने पर बदनसीब पत्नी को उपलब्ध प्रतितोष तंत्र के बारे में उचित जानकारी के बिना बेसहारा भटकना पड़ता है।

**"क्या अनिवासी भारतीय (एनआरआई) से विवाह करके परेशान हैं – समाधान जानिए"** शीर्षक से प्रकाशित इस पुस्तिका का उद्देश्य विदेश की भूमि पर अकेली छोड़ दी गई या परित्यक्त दुल्हनों को उपलब्ध कानूनी उपचारों से अवगत कराना है। इस पुस्तिका में ऐसी महिलाओं को कानूनी व्यवस्था तक पहुंच स्थापित करने के लिए सूचना उपलब्ध कराई गई है ताकि उनकी परेशानियों को कम किया जा सके।

चारु वलीखन्ना

**डॉ. चारु वलीखन्ना**
सदस्या

राष्ट्रीय महिला आयोग • NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

# क्या अनिवासी भारतीय (एन आर आई) से विवाह करके परेशान हैं? - समाधान जानिए

महिलाओं के साथ हिंसा निश्चित तौर पर समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति का परिचायक है। महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का एक अन्य रूप विवाहित महिलाओं को उनके अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त कर देने के रूप में प्रदर्शित होता है जो भारत के अन्य राज्यों सहित विशेष रूप से पंजाब, गुजरात और केरल राज्यों में दिखाई देता है। इनमें से अधिकांश विवाह अत्यधिक जल्दबाजी में संपन्न कराए जाते हैं जिनकी समाप्ति एक हनीमून विवाह के रूप में हो जाती है तथा ऐसे विवाह में दूल्हा या उसके परिवार की ओर से प्रायः कोई प्रतिबद्धता या वचनबद्धता दिखाई नहीं पड़ती। इन पुरुषों को विवाह हेतु अभिप्रेरणा कैसे मिलती है जबकि उनका अपने वैवाहिक दायित्वों को सम्मान देने का कोई अभिप्राय नहीं होता, रहस्य बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अनिवासी भारतीय (एन आर आई) दूल्हे केवल अपने माता–पिता को खुश करने के लिए ही विवाह करते हैं जो अपने पुत्र के विदेश में रहने के बावजूद उसके लिए एक भारतीय बहु की इच्छा रखते हैं।

महिलाओं को भारतीय मूल के अनिवासी पतियों द्वारा परित्याग कर देने की घटना कोई नई नहीं है। पहले भी अनिवासी भारतीय अपने परिवार के दबाव में आकर भारत में द्वि–विवाह करते रहे हैं। अनिवासी भारतीय पति विदेशी महिला के साथ अपने विवाह को छिपाने की कोशिश करते हैं और भारत की यात्रा पर आने पर अपने माता–पिता के दबाव में आकर उनके द्वारा पसंद की गई लड़की से विवाह कर लेते हैं जिसकी परिणति अंततः एक संक्षिप्त हनीमून के बाद उसे परित्यक्त कर देने के रूप में होती है। अनिवासी भारतीय पति के लिए ऐसा कर पाना लड़की के माता–पिता के आभारपूर्ण व्यवहार से और अधिक आसान हो जाता है, जो एक विदेशी दामाद पाने के अपने लोभ से दबे रहते हैं।

समस्या न केवल भारत में परित्यक्त कर दी गई महिला से संबंधित है बल्कि इसमें दहेज की मांग, निर्दयतापूर्ण व्यवहार और विभिन्न प्रकार से उत्पीड़न का शिकार बनाना, महिला का विदेश में परित्याग करना या अकेले छोड़ देना, विवाह का निष्पादन नहीं करना, केवल सुविधा की पूर्ति हेतु विवाह करना, पहले से विद्यमान विवाह को छिपाना, एक–तरफा तलाक आदि जैसी समस्याएं भी शामिल हैं।

इस समस्या का समाधान केवल तभी हो सकता है जबकि लड़की के माता–पिता जो ऐसे तथाकथित विवाह के निष्पादन हेतु अपनी पुत्री की सहायता करने के लिए अपनी संपूर्ण परिसंपत्ति को संभवतः समाप्त कर चुके होते हैं, जागरूक बनें और राज्य प्राधिकरणों में अपनी शिकायत दर्ज कराने में "बहुत देरी" न करें।

अनिवासी भारतीय/प्रवासी भारतीयों के साथ विवाह संबंध में परित्यक्त भारतीय महिला के परित्याग या उसे अकेले छोड़ने से संबंधित स्वरूप (पैटर्न) निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आता है:

(क) विदेश में अपने पति के साथ रह रही महिला को अचानक यह पता चले कि उसका पति उसे असहाय छोड़कर गायब हो गया है;

(ख) अपने पति के साथ विदेश में रह रही महिला को या तो बहला कर या बाध्य करके भारत लाया जाए और यहां उसे पासपोर्ट, वीज़ा के बिना और बिना किसी धन के अकेली छोड़ दिया जाए जिससे कि उसके पास अपने पति से दोबारा मिलने का कोई रास्ता उपलब्ध न हो; और

(ग) भारत में विवाहित महिला को विवाह के पश्चात उसका पति उसे छोड़कर विदेश चला जाता हो किंतु उसने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाने के लिए वीजा हेतु प्रत्याभूति (स्पान्सरशिप) न भेजी हो।

यह सूचनाप्रद पुस्तिका ऐसे विवाह में फंस गई निर्दोष भारतीय महिलाओं को कानूनी और अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का एक प्रयास है और साथ ही आशा की जाती है कि अन्य युवा निर्दोष लड़कियों के माता–पिता इस पुस्तिका को पढ़कर अपनी बच्ची को ऐसे किसी जाल में फंसने से बचा पाएंगे।

**राष्ट्रीय महिला आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा सुलझाया गया एक विशिष्ट मामला**

बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली 19 वर्षीया एक लड़की का कनाडा से आए 33 वर्षीय एन आर आई दूल्हे के साथ विवाह हुआ।

विवाह चंडीगढ़ में संपन्न हुआ जिसके पश्चात यह लड़की जालंधर गई और वहां अपने पति तथा ससुराल पक्ष के लोगों के साथ रही।

ठीक 8 दिन के बाद उसका पति कनाडा लौट गया। पिछले 6 महीनों से उसके पति का कोई समाचार नहीं आया है। वह महिला अब गर्भवती है, उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे उसके ससुराल के घर से बाहर निकाल दिया है और अब वह बरेली में अपने माता–पिता के साथ रह रही है

**उसे क्या करना चाहिए?**

# क्या आप अपने पति की नागरिकता स्थिति के बारे में जानती हैं?

आपके लिए अपने पति की नागरिकता स्थिति के बारे में जानना महत्त्वपूर्ण है।

आपके पति की नागरिकता स्थिति से अवगत होने पर आप अपने पति द्वारा अकेले छोड़ दिए जाने या परित्यक्त कर दिए जाने की स्थिति में उसके विरुद्ध की जा सकने वाली उपलब्ध कानूनी कार्रवाई के संबंध में निर्णय ले सकती हैं।

**यदि वह अनिवासी भारतीय (एन आर आई) है तब भी वह एक भारतीय नागरिक है**

**अनिवासी भारतीय** – अन्य देश में प्रवास करने वाले अनिवासी भारतीयों की निम्नलिखित तीन मुख्य श्रेणियां हैं:

(I) ऐसा भारतीय नागरिक जो विदेश में रोजगार के लिए या कोई व्यवसाय या व्यावसायिक क्रियाकलाप को करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन से ऐसी परिस्थितिवश निवास करता हो जिसके कारण उसे विदेश में अनिश्चितकाल तक रहना पड़े।

(ii) विदेशी सरकारी एजेंसियों जैसेकि संयुक्त राष्ट्र संघ (यू एन ओ) और इसके द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ), विश्व बैंक आदि में किसी पद पर विदेश में कार्य करने वाला भारतीय नागरिक।

(iii) केंद्र और राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जिन्हें विदेश में किसी अस्थायी समनुदेशनों पर प्रतिनियुक्त किया गया हो या उनके कार्यालयों, जिनमें विदेश में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन (राजदूतावास) शामिल हैं, में तैनात किया गया हो।

**वह दूसरे देश का स्थायी निवासी है**

**भारतीय नागरिक का नमूना पासपोर्ट**

**भारतीय नागरिक के पासपोर्ट पर चिपकाया गया रेजिडेंस वीजा का नमूना स्टिकर**

**स्थायी निवासी** : स्थायी निवासी से किसी व्यक्ति के वीजा की स्थिति सूचित होती है: व्यक्ति को उस देश में अनिश्चितकाल तक रहने की अनुमति दी गई है जिसका वह नागरिक नहीं है।

**कुछ दिल दहला देने वाली घटनाएं/असहज स्थितियां**

* संक्षिप्त हनीमून के बाद दुल्हन का परित्याग कर दिया गया;

* दुल्हन को विदेशी भूमि पर बिना किसी सहायता या वैध वीजा के परित्यक्त कर दिया गया;

* दुल्हन को विदेश में शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं तथा या तो उसे स्वयं भारत आने के लिए बाध्य किया गया या फिर उसे बलात् भारत भेज दिया गया;

* विदेश में पहुंचने पर दुल्हन को यह पता चला कि उसका पति पहले से ही विवाहित है;

* विदेश में दुल्हन को रखना इस बात पर आधारित कर दिया गया कि ससुराल पक्ष को नियमित रूप से दहेज का भुगतान किया जाता रहे;

* विदेश के न्यायालय द्वारा पारित तलाक की डिक्री के आधार पर दुल्हन को भारत में भरण–पोषण (निर्वाह व्यय) प्रदान करने से इनकार कर दिया गया;

* दुल्हन अपने खिलाफ जारी एकपक्षीय तलाक की डिक्री को देखकर सन्न रह गई;

* दुल्हन ने भारत में अपने पति के विरुद्ध आपराधिक मामला चलाया किंतु न्यायालय में उसे यह ज्ञात हुआ कि भारतीय न्यायालयों द्वारा उसके पति की भारत के न्यायालयों में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कराई जा सकती है;

* दुल्हन को यह ज्ञात होता है कि विवाह के संबंध में उसकी सहमति आप्रवास स्थिति, रोजगार आदि के संबंध में गलत सूचना जैसी भ्रामक जानकारियों का उपयोग करके प्राप्त की गई थी;

* न्यायालय की शरण में आने वाली दुल्हन को क्षेत्राधिकार, समन तामील करने, आदेशों के निष्पादन आदि के संबंध में अनेक तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

*** उसे क्या करना चाहिए?**

विदेशी नागरिक क
पासपोर्ट का नमूना

**वह विदेशी नागरिक है** यदि वह हो:

- **भारतीय मूल का व्यक्ति (पी आई ओ)** : पी आई ओ भारत का नागरिक नहीं है। पी आई ओ कार्ड जारी करने के लिए भारत सरकार भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति के संबंध में उसकी चार पीढ़ियों पर विचार करती है। पी आई ओ कार्ड के पात्र व्यक्ति की पत्नी अपने स्वयं के अधिकार से पी आई ओ कार्ड भी रख सकती है। इस बाद की श्रेणी (पत्नी) में भारतीय नागरिक की विदेशी पत्नी शामिल है, चाहे वह किसी भी मूल की हो। पी आई ओ कार्डधारक व्यक्ति को विदेशी नागरिकों के लिए लागू अनेक प्रतिबंधों जैसेकि वीजा और कार्य परमिट संबंधी अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होती है और इसके साथ ही उसे कुछ अन्य आर्थिक प्रतिबंधों से भी छूट दी जाती है।

- **विदेशी नागरिक** – ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत को छोड़कर किसी अन्य देश का नागरिक हो।

- किसी देश में स्थायी तौर पर निवास करने की अनुमति जिन व्यक्तियों को दी जाती है, उन्हें प्रायः किसी न किसी प्रकार का दस्तावेजी प्रमाण भी जारी किया जाता है जो उनकी स्थिति के संबंध में कानूनी साक्ष्य के रूप में होता है। विगत में अनेक देश व्यक्ति के पासपोर्ट पर यह सूचित करते हुए मुहर लगाते रहे हैं कि इसके धारक को स्थायी निवास करने की अनुमति प्रदान की गई है या उसे आप्रवास नियंत्रण से छूट दी गई है तथा बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। कुछ अन्य देश इस संबंध में फोटो पहचान पत्र जारी करते हैं, व्यक्ति के पासपोर्ट पर वीजा स्टिकर या निवास प्रमाणपत्र चिपकाते हैं या उनके स्थायी निवास की स्थिति की पुष्टि करते हुए एक पत्र जारी करते हैं।

**निम्नलिखित की जानकारी हेतु पति के पासपोर्ट की जांच करें:**

- आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्थायी निवासी के पासपोर्ट के किसी पृष्ठ पर स्थायी निवास वीजा या निवासी वीजा का एक प्रिंट आउट चिपका दिया जाता है।

- कनाडा में स्थायी निवासियों को एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाता है जिसे पी आर कार्ड या मैपल लीफ कार्ड के नाम से जाना जाता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवासियों को एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाता है जिसे सरकारी तौर पर स्थायी निवासी कार्ड के नाम से जाना जाता है परंतु गैर–सरकारी तौर पर इसे "ग्रीन कार्ड" कहा जाता है।

- यूनाइटेड किंगडम (यू के) में आवेदक के पासपोर्ट पर अनिश्चितकाल तक रहने की छूट लिखा स्टिकर चिपकाया जाता है।

**यदि मेरा विवाह किसी अनिवासी भारतीय से हो तो मैं विवाह के पश्चात अपने पति के साथ किस प्रकार विदेश जा सकती हूं?**

**इसके लिए आपको एक विवाह वीजा की आवश्यकता होगी जो:**

- संबंधित देश के निवासी या नागरिक की पत्नी, सिविल पार्टनर या वास्तविक पार्टनर को जारी किया जाने वाला वीजा विवाह वीजा या पार्टनर वीजा कहलाता है जिसे जारी करने का उद्देश्य यह है कि पति–पत्नी दोनों उस देश में निवास कर सकें।

- विवाह वीजा जिस देश में संबंधित व्यक्ति के लिए वीजा जारी किया जाना है, उस देश के नागरिक के साथ सिद्ध संबंध के आधार पर अभिप्रेत विवाह या सिविल भागीदारी से पहले एक सीमित अवधि के लिए जारी किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी अमेरिकी पुरुष से विवाह करने की इच्छुक भारतीय महिला को फिआंसी वीजा (जिसे के–1 वीजा के नाम से भी जाना जाता है) जारी किया जाएगा ताकि वह महिला संयुक्त राज्य अमेरिका में आ सके। के–1 फिआंसी वीजा अनुमोदित किए जाने की तारीख से चार महीनों की अवधि तक वैध रहता है।

**एक भावी दुल्हन द्वारा पूछा गया प्रश्न**

मेरा विवाह आस्ट्रेलिया से आए एक अनिवासी भारतीय से होने जा रहा है। विवाह किसी गुरूद्वारे में होगा, जहां से विवाह के संबंध में प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। क्या यह पर्याप्त होगा?

नहीं। आर्य समाज मंदिर या गुरूद्वारे द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं है। आपको अपना विवाह पंजीकृत करा लेना चाहिए। वास्तव में भारत के कुछ राज्यों में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। यदि आपका विवाह पंजीकृत नहीं कराया जाता है तो आप यह समझ सकती हैं कि

**आपके पति आपको अपने साथ विदेश ले जाना नहीं चाहते क्योंकि पत्नी वीजा विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जा सकता है।**

# दांडिक कार्यवाही

**आप अपने पति के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही शुरू करा सकती हैं, दूसरे शब्दों में, आप कानून के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत उसके विरुद्ध मामला दर्ज करा सकती हैं तथा आपकी ओर से सरकार अभियोजन चलाएगी।**

**प्रश्नः भारतीय दंड संहिता की धारा 498क क्या है?**

**उत्तरः** धारा 498क किसी महिला के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने वाले पति या पति के संबंधियों पर कार्यवाही चलाने के लिए निर्मित की गई धारा है जिसके अंतर्गत अपराधी को तीन वर्ष तक के कारावास की सजा और साथ ही आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है।

**प्रश्नः** मैं अपने पति के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही किस प्रकार शुरू करा सकती हूं?

**उत्तरः** इसके लिए आप संबंधित ऐसे थाने में दांडिक शिकायत/प्राथमिकी दर्ज करा सकती हैं जिसके पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (1) के अंतर्गत प्रादेशिक क्षेत्राधिकार हो।

प्रश्नः यदि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दे तो क्या किया जा सकता है?

उत्तरः ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को लिखित अभ्यावेदन भेज सकती हैं।

यदि पुलिस शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दे तो आप संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत भेज सकती हैं जो इस बात का समाधान हो जाने पर कि आपकी शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध का उल्लेख किया गया है, या तो स्वयं मामले की जांच करेगा या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को जांच करने का निर्देश देगा।

**प्रश्नः** यदि वह भी कार्रवाई करने से इनकार कर दे तो मुझे क्या करना चाहिए?

**उत्तरः** ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष दांडिक (आपराधिक) शिकायत दर्ज कराएं।

धारा 190 के अंतर्गत अधिकारप्राप्त कोई भी मजिस्ट्रेट पीड़ित पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई दांडिक (आपराधिक) शिकायत के आधार पर उसकी जांच करने का आदेश जारी कर सकता है।

भारत से बाहर पति द्वारा किए गए सभी अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत भारत की प्रादेशिक सीमा के भीतर किए गए माने जाएंगे।

अपने ससुराल के घर से निकाल दिए जाने पर अनेक महिलाएं अपने माता–पिता के घर में आश्रय लेती हैं जो किसी दूसरे शहर में हो सकता है। ऐसी स्थिति में विपदा में होने के बावजूद, महिला शिकायत दर्ज नहीं करा पाती, वह सबसे पहले अपने पर हो रहे अत्याचार/यातना से बचना चाहती है तथा अपने माता–पिता के घर में स्नेहपूर्ण परिवेश में शांति प्राप्त करना चाहती है।

क्या आपके पति ने एक संक्षिप्त हनीमून के पश्चात आपको भारत में छोड़ दिया और आप अपनी ससुराल के लोगों के साथ रह रही हैं? क्या वे लोग आपको दहेज के लिए उत्पीड़ित कर रहे हैं तथा वे आपको इसी शर्त पर विदेश भेजेंगे कि आपके माता–पिता उनकी दहेज की मांग को पूरा कर दें?

**आपको क्या करना चाहिए?**

क. दहेज उत्पीड़न हेतु तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।

ख. शिकायत का पंजीकरण भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत प्राथमिकी के रूप में किया जाएगा।

**प्रीतमबेन का विवाह बड़ोदा में हुआ, जहां उसके माता–पिता रहते हैं। विवाह के पश्चात वह अपने पति और ससुराल के लोगों के साथ रहने के लिए अहमदाबाद चली गई। किंतु ससुराल के लोगों द्वारा घर से निकाल दिए जाने पर वह बड़ोदा में अपने माता–पिता के घर लौट आई। उसे अपनी शिकायत कहां दर्ज करानी चाहिए?**

दहेज की मांग अहमदाबाद में की गई तथा उत्पीड़न भी अहमदाबाद में ही किया गया। **शिकायत अहमदाबाद पुलिस में ही की जानी चाहिए।** तथापि, यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह एक निरंतर किए जाने वाला अपराध है अर्थात आप यह सिद्ध कर सकती हैं कि बड़ोदा में अपने माता–पिता के पास लौट जाने के पश्चात भी आपके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज की मांग की जाती रही और आपकी ससुराल के लोगों ने बड़ोदा में आपको तथा आपके माता–पिता को धमकियां भी दीं। ऐसी स्थिति में शिकायत **बड़ोदा में स्थानीय पुलिस थाने** में दर्ज कराई जा सकती है।

**मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई है, किंतु अब मेरे ससुराल के लोगें ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास रहने का कोई स्थान नहीं है क्योंकि मेरे माता–पिता आगरा में रहते हैं।**

**मुझे क्या करना चाहिए?**

आप महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ओवदन कर सकती हैं तथा न्यायालय अन्य आदेशों के अतिरिक्त निवास से संबंधित आदेश भी जारी करेगा। (महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग की पुस्तिका का संदर्भ लें)। महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 27 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति उस क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर जहां

(क) व्यथित व्यक्ति स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर निवास करता हो या कोई व्यवसाय करता हो या नौकरी करता हो; या

(ख) प्रतिवादी निवास करता हो या कोई व्यवसाय करता हो या नौकरी करता हो; या

(ग) वाद हेतुक(कॉज ऑफ एक्शन) उत्पन्न हुआ हो,

का क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष अधिनियम के अंतर्गत राहत की मांग करते हुए आवेदन कर सकता है; और यह न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण आदेश तथा अन्य आदेश जारी करने के लिए तथा इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर विचार करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा।

**प्रश्न यह उठता है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत शिकायत पर कार्यवाही ऐसे स्थान पर चलाई जा सकती है जहां पत्नी के माता–पिता का घर हो?**

**हां।** भारत के उच्चतम न्यायालय ने सुनीता कुमारी कश्यप बनाम बिहार सरकार और अन्य {2011 की दांडिक अपील संख्या 917 (2010 की विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) संख्या 8078 के कारण की गई) तथा 2011 की दांडिक अपील संख्या 918 (2010 की विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) संख्या 8079 के कारण की गई)} के मामले में यह पाया कि अपीलकर्ता पत्नी द्वारा रांची में पति और उसके रिश्तेदारों के हाथों दुर्व्यवहार और निर्दयतापूर्ण व्यवहार के संबंध में विशिष्ट अभिकथन और इस तथ्य के दृष्टिगत कि उनके इस कृत्य के कारण उसके पति द्वारा उसे गया में उसके माता–पिता के घर पर ले जाया गया और उन्हें दहेज की मांग को पूरा न किए जाने की स्थिति में गंभीर परिणामों को भुगतने की धमकी दी गई, उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि दंड प्रक्रिया संहिताओं की धाराओं 178 और 179 के दृष्टिगत अपराध निरंतर स्वरूप का है जो एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में किया गया है जिनमें से एक स्थानीय क्षेत्र गया का है, अतः वहां किए गए दांडिक मामले में कार्रवाई करने का मामला गया के विद्वान मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में, यह अपराध निरंतर स्वरूप का था तथा गया में हुआ घटनाक्रम शिकायतकर्ता के साथ पहले से किए जा रहे उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को निरंतरता प्रदान करता है, अतः धारा 178 के खंड (ग) के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, शिकायत में लगाए गए आरोपों से यह प्रतीत हुआ कि यह सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपीलकर्ता के साथ निरंतर दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार किए जाने का मामला है जिसमें किसी एक अवसर पर सभी अभियुक्तों ने एकसाथ मिलकर तो किसी दूसरे अवसर पर किसी एक अभियुक्त अर्थात केवल पति ने अपीलकर्ता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार किया। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 के खंड (ग) के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए।

**यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बच्चे को या दोनों को किसी विशेष जिले में असहाय छोड़कर किसी दूर के स्थान पर या या विदेश में चला जाता हो किंतु उस जिले में या उसके आसपास के इलाके में नैमित्तिक या आकस्मिक दौरे पर आता हो, तो उसकी पत्नी उसके इस दौरे के दौरान वह जहां ठहरा है, उस स्थान के संबंधित जिले में याचिका दायर कर सकती है।**

**वस्तुतः न्यायालय ने महिला के पक्ष में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए और आगे बढ़कर यह भी कहा कि यदि अपनी पत्नी को छोड़ देने वाले पति का कोई स्थायी निवास न हो और वह हमेशा अपना निवास स्थान बदलता रहता हो तो पत्नी उसे अपने किसी भी सुविधाजनक स्थान पर पकड़ सकती है और भारतीय दंड संहिता की धारा 488 के अंतर्गत याचिका दायर कर सकती है या यदि वह अपने पति के दौरे वाले स्थान पर संयोगवश अपने पति से मिल जाती हो तो वह अपने पति द्वारा उस स्थान को छोड़े जाने से पहले उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है।**

**प्रश्नः मेरे पति भारत में अपने खिलाफ लंबित दांडिक कार्यवाहियों में उपस्थित नहीं होते/न्यायालय ने मेरे पति जोकि एक 'भारतीय नागरिक' हैं, के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।**

**मुझे क्या करना चाहिए?**

**अपने पति के पासपोर्ट को परिबद्ध करने के लिए आवेदन करें।**

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 के द्वारा पासपोर्ट को परिबद्ध करने और प्रतिसंहरण (रद्द करने) की कार्यवाही शासित होती है। संबंधित पासपोर्ट प्राधिकारी के समक्ष पासपोर्ट परिबद्ध करने या उसके प्रतिसंहरण के लिए साधारण अनुरोध के रूप में आवेदन किया जा सकता है क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध में कोई भी प्रपत्र निर्धारित नहीं किया गया है। उप–धारा (3) के संगत भाग में यह उल्लेख किया गया है कि पासपोर्ट का प्रतिसंहरण किया जा सकता है, यदिः

(क) पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का धारक पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने के पश्चात कभी भी ऐसे किसी अपराध के लिए भारत के किसी न्यायालय में दोषसिद्ध हुआ हो, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्निहित हो तथा उसे ऐसे मामले में कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा हुई हो; या

(ख) पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक द्वारा कथित रूप में किए गए अपराध से संबंधित कार्यवाही भारत के किसी दांडिक न्यायालय के समक्ष लंबित हो;

(ग) यदि पासपोर्ट अधिकारी के नोटिस में यह लाया जाए कि तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत किसी न्यायालय द्वारा पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक के उपस्थित होने के लिए वारंट या समन या गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है या ऐसे किसी न्यायालय द्वारा पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के धारक को भारत से बाहर जाने का प्रतिषेध करते हुए कोई आदेश जारी किया गया है तथा पासपोर्ट अधिकारी को इस बात का समाधान हो जाता हो कि इस प्रकार का कोई वारंट या समन या ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है।

**उसके वीजा को रद्द कराने के लिए आवेदन करें।**

जिस महिला को उसका पति परित्यक्त करके विदेश लौट गया हो, वह महिला अपने पति के पासपोर्ट को प्रतिसंहरण/परिबद्ध करने के लिए आवेदन करने के अतिरिक्त अपने दोषी पति के वीजा को रद्द करने/अस्वीकृत करने के लिए वीजा जारी करने वाले प्राधिकारी या दूतावास को निम्नलिखित में से किसी भी एक आधार पर आवेदन कर सकती है तथा ऐसे आवेदन पर विचार करना संबंधित प्राधिकारी या दूतावास का विशेषाधिकार होगा।

वीजा अनेक कारणों से अस्वीकृत या रद्द किया जा सकता है, जिनमें से कुछ कारण ये हैं:

- आवेदक का आपराधिक रिकार्ड हो या उसके विरुद्ध कोई आपराधिक आरोप लंबित हो;
- आवेदक को सुरक्षा हेतु जोखिम माना जाता हो;
- आवेदक का उत्तम नैतिक आचरण न हो।

## जल्दबाजी में शादी न करें

**अनिवासी भारतीय दूल्हे के निजी सूचना विवरणों के सत्यापन हेतु महत्त्वपूर्ण पैरामीटरः**

- वैवाहिक स्थिति : क्या वह विवाहित, तलाकशुदा है या अपनी पत्नी से पृथक रह रहा है;
- रोजगार संबंधी विवरण : शैक्षिक योग्यता तथा पद, वेतन, कार्यालय, नियोजक का पता तथा उनकी विश्वसनीयता
- आप्रवासन स्थिति, वीजा की किस्म, पत्नी को अन्य देश में ले जाने की पात्रता
- वित्तीय स्थिति
- भारत में उसके कथित रूप से स्वामित्वाधीन संपत्ति, आवासीय पता
- आपराधिक पूर्ववृत्त, यदि कोई हो
- पारिवारिक पृष्ठभूमि

**विवाह से पूर्व सत्यापन हेतु जांचे जाने वाले महत्त्वपूर्ण दस्तावेज**

- वीजा, पासपोर्ट
- मतदाता या विदेश का पंजीकरण कार्ड
- सामाजिक सुरक्षा नंबर
- गत तीन वर्षों की आयकर विवरणी
- बैंक खाता संबंधी दस्तावेज
- संपत्ति के कागजात
- महिला को विदेश (संबंधित देश) के कानूनों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए

**प्रश्नः न्यायालय ने मेरे पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत सिद्धदोष पाया है।**

**उसके प्रत्यर्पण (स्वदेश वापसी) हेतु मैं क्या कर सकती हूं?**

प्रत्यर्पण एक सरकारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई राष्ट्र या देश किसी संदिग्ध या सिद्धदोष आपराधी को दूसरे राष्ट्र या देश को सौंपता है। देशों के बीच प्रत्यर्पण के विनियमन हेतु संधि की जाती है।

भारत में भारत से किसी अन्य देश (विदेश) में या किसी अन्य देश (विदेश) से भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों का प्रत्यर्पण भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। प्रत्यर्पण का आधार भारत और संबंधित देश (विदेश) के बीच संधि हो सकती है। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिनियम के उपबंधों का अधिसूचित देश/देशों में विस्तार से संबंधित एक अधिसूचना जारी की जा सकती है। प्रत्यर्पण की व्यवस्था के अंतर्गत भारत में अपराध करने के पश्चात भारत से अपने विदेश स्थित निवास स्थान को चले गए अनिवासी भारतीय दूल्हे की खोज की जा सकती है तथा राजनयिक माध्यम के जरिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जा सकता है।

विदेश में वांछित भगोड़ा अपराधियों के संबंध में सूचना सीधे संबंधित देश या आईसीपीओ–इंटरपोल के महासचिवालय के जरिए रेड नोटिसों के रूप में प्राप्त होती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का इंटरपोल विंग इस सूचना को तत्काल संबंधित पुलिस संगठनों को भेज देता है। महासचिवालय से प्राप्त रेड नोटिसों को सभी राज्य पुलिस प्राधिकारियों और आप्रवास प्राधिकारियों को परिचालित कर दिया जाता है।

**प्रश्न यह उठता है कि विदेश में वांछित भगोड़ा अपराधी के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा कौन सी कार्रवाई, यदि कोई हो, की जा सकती है। इस संबंध में कानून के निम्नलिखित उपबंध संगत हैं:**

- कार्रवाई भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की अनुच्छेद संख्या 34 (ख) के अंतर्गत की जा सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत भगोड़ा अपराधियों की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो कतिपय शर्तों के अधीन है, जिनमें केवल राजनयिक माध्यमों के जरिए प्राप्त अनुरोध जो सक्षम क्षेत्राधिकार वाले दंडाधिकारी द्वारा जारी किए गए वारंट के अंतर्गत हो, शामिल है।

- इस संबंध में कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 (1) (छ) के उपबंधों के अंतर्गत भी की जा सकती है, जिसके द्वारा पुलिस को किसी भगोड़े अपराधी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार प्रदान किया गया है। तथापि, पुलिस के लिए यह अनिवार्य है कि वह संबंधित मामले से तत्काल इंटरपोल विंग को अवगत कराए जो संबंधित सूचना भारत सरकार को उपलब्ध कराएगा, जिसके स्तर पर प्रत्यर्पण अथवा अन्यथा से संबंधित निर्णय लिया जाएगा।

**प्रश्नः लुक आउट सर्कलुर (एलओसी) और रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) क्या हैं और ये मेरे अनिवासी भारतीय पति को गिरफ्तार करने में कितने सहायक होंगे?**

**लुक आउट सर्कुलर (एलओसी)**

लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) एक परिपत्र है जिसका प्रयोग प्राधिकारियों द्वारा यह जांच करने के लिए किया जाता है कि क्या यात्रा करने वाला व्यक्ति पुलिस द्वारा वांछित है अथवा नहीं। इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं (जैसेकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों या बंदरगाहों) पर आप्रवासन जांच हेतु किया जाता है। भारत में, एलओसी का एक निर्धारित प्रपत्र है जिसमें अपराधियों के पहचान संबंधी पैरामीटरों का उल्लेख होता है और यह फरार अपराधियों को पकड़ने तथा उन्हें सीमापार जाने से रोकने में पुलिस के लिए सहायक होता है।

लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) का इस्तेमाल फरार अपराधियों की पहचान करने तथा विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा वांछित व्यक्तियों के प्रवेश या बहिर्गमन पर प्रभावी रूप में रोक लगाने और इसका मॉनीटरन करने के लिए किया जाता है।

भारतीय नागरिकों से संबंधित लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) के प्रकाशन के संबंध में भारत के गृह मंत्रालय द्वारा जारी मूलभूत दिशानिर्देशों में निम्नलिखित 4 अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है:

1. लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने के लिए देश में सभी आप्रवास जांच पोस्टों पर गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सरकारी प्रपत्र में अनुरोध करना होता है।

2. लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने के लिए अनुरोध अनिवार्यतः ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाए जो भारत सरकार में उप सचिव/राज्य सरकार में संयुक्त सचिव/जिला स्तर पर संबंधित पुलिस अधीक्षक के रैंक से नीचे का अधिकारी न हो।

3. लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को जारी करने वाली एजेंसी के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस व्यक्ति के संबंध में लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया जाना है, उसे पहचान किए जाने के लिए उससे संबंधित संपूर्ण निजी विवरणों का निर्धारित प्रपत्र में स्पष्ट उल्लेख करे। लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) संबंधित व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त तीन पहचान पैरामीटरों से कम उपलब्ध होने पर जारी नहीं किया जाएगा।

4. लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। तथापि, यदि इसे जारी करने वाली एजेंसी इसकी वैधता अवधि में एक वर्ष से अधिक का विस्तार करना चाहती है तो वह एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले विस्तार हेतु अनुरोध कर सकती है। यदि एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) की वैधता अवधि में विस्तार हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित आप्रवास अधिकारी को लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) निलंबित करने का अधिकार है।

### रेड कॉर्नर नोटिस

**रेड कॉर्नर नोटिस** वांछित व्यक्ति की प्रत्यर्पण की दृष्टि से (अनंतिम) गिरफ्तारी हेतु एक अनुरोध है। इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस "वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट के लिए प्रचलन में स्थित एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।" (इंटरपोल के पास शब्द के औपचारिक अर्थों में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का प्राधिकार नहीं है क्योंकि ऐसा करना संप्रभु सदस्य देशों के अधिकारक्षेत्र में आता है)। इस प्रकार का नोटिस जारी करने के लिए अनुरोध इंटरपोल को राजनयिक माध्यम से किया जाना होता है।

इंटरपोल द्वारा सदस्य देशों के बीच सूचना की साझेदारी के लिए इंटरपोल नोटिस या इंटरनेशनल नोटिस जारी किया जाता है। इंटरपोल नोटिस सात प्रकार के होते हैं जिनमें से 6 प्रकार के इंटरपोल नोटिसों को उनके रंगों से जाना जाता है:

- लाल
- नीला
- हरा
- पीला
- काला
- नारंगी

**प्रश्नः मेरे पति ने मेरे साथ धोखाधड़ी की। हालांकि वह आस्ट्रेलिया में एक महिला के साथ रह रहे थे, फिर भी उसने मुझसे शादी की। मेरा मामला एर्नाकुलम के न्यायालय में लंबित है किंतु चूंकि मेरे पति आस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो भारत का न्यायालय मेरे पति को किस प्रकार समन कर सकता है?**

भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने विदेश में रह रहे व्यक्तियों को समन/ नोटिस पहुंचाने/ न्यायिक प्रक्रिया से अवगत कराने के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। महत्त्वपूर्ण : सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय की शरण में आने वाली पत्नी/पीड़ित पक्ष के लिए समन तामील कराने की दिशा में कोई कदम उठाने/पहल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा करना संबंधित न्यायालय का विशेषाधिकार है।

गृह मंत्रालय में प्राप्त समन/वारंट/न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज संबंधित भारतीय मिशन/ दूतावास को भेज दिए जाते हैं जो उस देश में निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष मामले को उठाते हैं।

अनिवासी भारतीय/विदेशी पति के मामले में न्यायालय अपने अधिकारी के जरिए भारत में स्थित उसके माता–पिता के/पूर्वज के मकान पर समन तामील करा सकता है। यदि पति/अभियुक्त भारत से बाहर रह रहा हो तो उसे डाक द्वारा भी समन भेजा जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 में समन/वारंट तामील कराने/न्यायिक प्रक्रिया से अवगत कराने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा विदेश की सरकारों के साथ स्थापित किए जाने वाली पारस्परिक व्यवस्था का भी उल्लेख है। गृह मंत्रालय ने 25 देशों के साथ पारस्परिक विधिक सहायता संधि/ व्यवस्था के लिए करार किए हैं। अन्य देशों के संबंध में मंत्रालय पारस्परिक सहयोग का आश्वासन देकर न्यायिक दस्तावेजों को संबंधित व्यक्ति को तामील कराने का प्रयास करता है। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के साथ पारस्परिक विधिक सहायता संधि की है।

इसी प्रकार, विदेश के न्यायालयों/ प्राधिकरणों द्वारा जारी समन के गृह मंत्रालय में प्राप्त होने पर उसे सीबीआई/ इंटरपोल के जरिए संबंधित राज्य की पुलिस द्वारा तामील किया जाएगा। जिस देश के साथ पारस्परिक व्यवस्था है, उससे प्राप्त समन को तामील कराने से संबंधित अनुरोध संयुक्त सचिव और सरकारी परामर्शदाता के द्वारा भारत में सबंधित न्यायालयों को अग्रेषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार विदेश में रह रहे व्यक्तियों को तामील कराने के लिए भारत के न्यायालयों द्वारा जारी समन संयुक्त सचिव और सरकारी परामर्शदाता के स्तर पर उस देश में स्थित भारतीय दूतावास/ उच्चायोग को अग्रेषित कर दिया जाता है।

**मेरे पति एर्नाकुलम के न्यायालय द्वारा भेजे जा रहे समनों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं और मैं परेशानी झेल रही हूं क्योंकि वह गत तीन वर्षों से न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। अब न्यायालय क्या करेगा?**

न्यायालय वारंट जारी कर सकता है और साथ ही आपके पति को एक उद्घोषित अपराधी भी करार दे सकता है।

### वारंट जारी करना

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 से धारा 79 तक की धाराएं दांडिक न्यायालय द्वारा वारंट जारी करने से संबंधित हैं। यदि न्यायालय के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि अभियुक्त समन का सम्मान नहीं करेगा तो न्यायालय द्वारा समन के बदले और उसके अतिरिक्त एक वारंट भी जारी किया जा सकता है।

### उद्घोषित फरार व्यक्ति

यदि भारत से बाहर रह रहे अभियुक्त/पति को वारंट तामील नहीं कराया जा सके तो न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत एक लिखित घोषणा प्रकाशित करने का अधिकार है जिसमें अभियुक्त/ पति को ऐसी घोषणा के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एक निर्धारित स्थान और निर्धारित समय पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अंतर्गत घोषित फरार अभियुक्त की चल और अचल संपत्ति को जब्त/कुर्क करने का निर्देश भी जारी कर सकता है।

समन/ वारंट/ घोषित अपराधी के संबंध में घोषणा का आदेश संबंधित मामले पर कार्रवाई करने वाले दंड न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।

**प्रश्नः कनाडा लौटने के बाद मेरे पति ने मेरे पिता को इस आशय का ई–मेल भेजा कि उसकी एक कनाडियाई पत्नी है जिससे उसके दो बच्चे हैं। क्या उसके द्वारा भेजे गए ई–मेल को साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है?ई–मेल का साक्ष्य की दृष्टि से क्या महत्त्व है?**

**हां। ई–मेल का साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।**

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डों के रूप में प्रस्तुत किए इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डों और साक्ष्य को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है।

दिल्ली सरकार बनाम मुहम्मद अफजल और अन्य के मामले में यह पाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। यदि कोई व्यक्ति प्रणाली के दुरुपयोग या प्रचालन की विफलता या आंतर–गणन के आधार पर किसी कंप्यूटर साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड की परिशुद्धता को चुनौती देता हो तो चुनौती देने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह

युक्तियुक्त संदेह से परे इस तथ्य को सिद्ध करे। न्यायालय ने यह पाया कि केवल सौद्धांतिक और सामान्य आशंकाएं सुस्पष्ट साक्ष्य को त्रुटिपूर्ण और अस्वीकार्य नहीं बना सकतीं। इस मामले में भारतीय न्यायालयों में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता अत्यधिक स्पष्ट रूप में प्रदर्शित हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संचार युक्तियों की व्याख्या की गई है तथा "संचार युक्ति" की परिभाषा दी गई है। अधिनियम की धारा 2 (ज क) के अंतर्गत "संचार युक्ति" का आशय किसी प्रकार की पाठ सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री या प्रतिबिंब के संप्रेषण, संचारण या पारेषण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले सेलफोनों, निजी डिजिटल उपकरण या दोनों का संयोजन या इनमें से किसी भी एक युक्ति से है।

इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डों के साक्ष्यात्मक महत्त्व पर साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65क और 65ख के अंतर्गत व्यापक विचार–विमर्श किया गया है। इन धाराओं में यह कहा गया है कि यदि नीचे उल्लिखित चार शर्तों का समाधन हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड में निहित किसी भी सूचना को दस्तावेज माना जाता है और बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण या मूल प्रति को उपलब्ध कराए ही वह कानूनी कार्यवाही के लिए स्वीकार्य दस्तावेज बन जाता है और उसे मूल या उसमें उल्लिखित किसी तथ्य को प्रकट करने के लिए जिसके लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य स्वीकार्य होगा, के संदर्भ में साक्ष्य माना जाएगा।

**उपर्युक्त चार शर्तें हैं:**

(1) ऐसी सूचना से युक्त कंप्यूटर आउटपुट कंप्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान उपलब्ध कराया गया हो जबकि कंप्यूटर का उस अवधि के दौरान कंप्यूटर के उपयोग पर विधि सम्मत नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से किए जाने जाने क्रियाकलाप के प्रयोजनार्थ सूचना के भंडारण या प्रक्रमण हेतु नियमित रूप से प्रयोग किया गया हो।

(2) उक्त अवधि के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड में निहित सूचना ऐसे क्रियाकलापों के सामान्य निष्पादन के दौरान कंप्यूटर में नियमित रूप से डाली गई हो।

(3) ऐसी अवधि के एक बड़े हिस्से के दौरान यह अनिवार्य है कि कंप्यूटर उपयुक्त रूप में चल रहा हो। यदि संबंधित अवधि के दौरान कंप्यूटर उपयुक्त रूप से कार्य न कर रहा हो तो यह अनिवार्य रूप से दर्शाया जाए कि इससे इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड या सामग्री की परिशुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(4) इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड में निहित सूचना ऐसी हो कि वह ऐसे क्रियाकलापों के सामान्य निष्पादन के दौरान कंप्यूटर में डाली गई सूचना से प्राप्त या व्युत्पन्न हो।

## विवाह–संबंधी संस्था

**मेरा विवाह एक विवाह ब्यूरो के माध्यम से तय किया गया जिन्होंने मेरे पति को अमेरिकी नागरिक दर्शाने के लिए मेरे माता–पिता को गलत सूचना और गलत दस्तावेज उपलब्ध कराए।**

**मुझे क्या करना चाहिए?**

अनेक शादियां इंटरनेट, मैरिज ब्यूरो/एजेंसियों आदि के माध्यम से तय की जाती हैं। यदि विवाह कराने वाले एजेंट ने आपको दूल्हे के संबंध में गलत और भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है और उस गलत/जाली सूचना तथा दस्तावेजों के आधार पर आपके माता–पिता आपका विवाह तय करने पर सहमत हो गए तो आप एजेंट के विरुद्ध मामला दर्ज करा सकती हैं और उसे आपराधिक मामले में एक पार्टी भी बना सकती हैं या उसे अभियुक्त होने का आरोप लगाकर उस पर मुकदमा चला सकती हैं।

# सिविल कार्यवाही

सिविल कार्यवाही चलाकर दोषी पक्ष से पीड़ित पक्ष को उसके साथ हुए गलत आचरण के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जा सकती है। सिविल कार्यवाही आमतौर पर दांडिक कार्यवाही से भिन्न होती है, हालांकि कुछ स्थितियों में ये दोनों कार्यवाहियां परस्पर संबद्ध हो सकती हैं। सिविल कार्यवाही के लिए पीड़ित पक्ष का सहयोग और स्वेच्छा से उपलब्ध कराया गया सहयोग आवश्यक है।

जब कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत आचरण करता है तो उसके विरुद्ध दांडिक और सिविल दोनों प्रकार की कार्यवाहियां की जानी होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी चीज की चोरी करता है तो उसने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध किया है और उसके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही शुरू किया जाना अपेक्षित है। जिस व्यक्ति का उसने सामान चुराया है, वह व्यक्ति भी उसके खिलाफ सिविल वाद दायर करने का पात्र है ताकि चुराई गई वस्तु के कारण उसे हुई हानि की प्रतिपूर्ति हो सके।

दांडिक और सिविल कार्यवाहियां अलग–अलग न्यायालयों में चलाई जाती हैं। दांडिक कार्यवाही चलाने का उद्देश्य अपराधकर्ता/अभियुक्त को दंडित करना होता है। सिविल कार्यवाही का उद्देश्य कुछ प्रकार की राहत जैसेकि गुजारा भत्ता (भरण–पोषण), अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा प्राप्त करना आदि होता है। ऐसे मुकदमे प्रायः आर्थिक स्वरूप के होते हैं। अतः इनमें वास्तविक क्षति जैसेकि आय के स्रोत का समाप्त हो जाना या कष्ट और उत्पीड़न झेलने के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करना शामिल होता है।

**प्रश्नः मेरे पति ने एकतरफा तलाक की डिक्री प्राप्त कर ली है। मुझे इस संबंध में कोई नोटिस नहीं भेजा गया। मैं पूरी तरह से अशिक्षित हूं, मेरे पास कुछ कागज आए थे जो अंग्रेजी में थे और चूंकि मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य शिक्षित नहीं है, अतः हममें से किसी ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।**

**मुझे क्या करना चाहिए?**

**एकतरफा डिक्री :** एकतरफा या एकपक्षीय का अर्थ है किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में और उसके प्रतिनिधित्व के बिना या उसे कोई सूचना उपलब्ध कराए बिना कोई कानूनी कार्रवाई शुरू कराना। धोखे से किए जाने वाले विवाहों में ऐसी स्थिति आमतौर पर आती है जबकि अनिवासी भारतीय पति अनुचित और झूठे कारणों के आधार पर विदेश के न्यायालयों से एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर लेता है।

भारतीय न्यायालय तलाक के संबंध में विदेश के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों, विशेष रूप से एकपक्षीय निर्णयों, को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.1991 को वाई नरसिम्हाराव और अन्य बनाम वाई वेंकटलक्ष्मी और अन्य के मामले में दिया गया निर्णय जो 19 वर्ष के पश्चात भी लागू है, के आधार पर भारत में अवैध और अप्रवर्तनीय मानते हैं।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 के अंतर्गत उन विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, जिनमें विदेश के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय भारत में स्वीकार्य नहीं होंगे, जिनका नीचे उल्लेख किया गया हैः

(क) जबकि निर्णय सक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय द्वारा जारी न किया गया हो;

(ख) जबकि इसे मामले के गुणावगुण के आधार पर जारी न किया गया हो;

(ग) यदि अदालती प्रक्रिया को देखकर ऐसा प्रतीत होता हो कि प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानून को गलत रूप में समझने के आधार पर या जिन मामलों में भारत के कानून लागू हो सकते हों, उनमें ऐसे कानून को मान्यता देने से इनकार करने के आधार पर चलाई गई हो;

(घ) यदि जिस कार्रवाई में निर्णय प्राप्त किया गया हो, वह कार्रवाई नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हो;

(ङ) यदि निर्णय धोखाधड़ी से ले लिया गया हो;

(च) यदि निर्णय भारत में लागू किसी कानून का उल्लंघन करके किए गए दावे पर आधारित हो।

जिस पत्नी/पीड़ित पक्ष के विरुद्ध विदेश में तलाक की एकपक्षीय डिक्री प्राप्त की गई है, उसे यह विकल्प उपलब्ध है कि वह उस डिक्री को उपर्युक्त किसी भी आधार पर चुनौती दे सकती है। इस प्रकार की चुनौती सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायालय में दी जा सकती है।

**प्रश्नः मेरे पति ने अमेरिकी न्यायालय से एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली है। भारत में मेरे लिए कौन–से रक्षोपाय उपलब्ध हैं?**

श्रीमती नीरजा सर्राफ बनाम श्री जयंत सर्राफ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के हितों की रक्षा करने हेतु कानून पर विचार करने की आवश्यकता का सुझाव दिया था। इसने तीन विशिष्ट उपबंधों का सुझाव दिया था, अर्थातः

(1) अनिवासी भारतीय और भारतीय महिला के बीच भारत में संपन्न विवाह को विदेश के न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता।

(2) पत्नी को पति की भारत और विदेश में स्थित संपत्ति से पर्याप्त भरण–पोषण (निर्वाह व्यय) उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाए।

(3) भारतीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गई डिक्री विदेश के न्यायालयों में सौहार्द के सिद्धांत तथा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 44क, जिसमें विदेश के न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को भारतीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री मानकर निष्पादनीय बनाया गया है, जैसे पारस्परिक करारों को करके निष्पादनयोग्य बनाया जाए।

**प्रश्नः भारत में उपलब्ध कानूनों के अंतर्गत मैं किस प्रकार की सिविल कार्यवाही का सहारा ले सकती हूँ?**

भारत में अपने विशिष्ट कानूनों को मानने वाले प्रत्येक धर्म के साथ तलाक, गुजारा भत्ता और बालकों की अभिरक्षा आदि से संबंधित मामले संबंधित धर्म के स्वीय कानूनों द्वारा शासित होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्म के अनुयायी अलग–अलग स्वीय कानूनों द्वारा शासित होते हैं। इस नियम का अपवाद गोवा राज्य में देखा जाता है जहां एक पुर्तगाली समान सिविल संहिता उपलब्ध है जिसके अंतर्गत सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और दत्तकग्रहण के संबंध में एक जैसे कानून हैं।

**मेरे पति का कहना है कि उसने अपने माता–पिता के दबाव में केवल अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए मुझसे विवाह किया, जबकि कनाडा में उसकी पहले से ही पत्नी है। वह मुझे 10 दिनों के हनीमून के पश्चात छोड़कर चला गया। मेरा 6 महीने का एक बच्चा है और मुझे मेरे पति के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए?**

पत्नी को गुजारा भत्ता उपलब्ध कराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ दांडिक उपबंध हैं तथा द्वि–विवाह हेतु दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उपबंध उपलब्ध हैं (धारा 494)।

**स्वीय कानूनों में निम्नलिखित शामिल हैं:**

- **हिंदू** (सिख, जैन और बौद्ध सहित) : हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- **मुस्लिम** : मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939
- **ईसाई** : भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1889, तलाक अधिनियम, 1869
- **पारसी** : पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936
- **किसी धर्म या जाति पर विचार किए बिना सभी व्यक्तियों पर लागू** : विशेष विवाह अधिनियम, 1954

**(राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित विवाह से संबंधित पुस्तिका का संदर्भ लें)**

**प्रश्नः मैं अपने अनिवासी भारतीय पति के विरुद्ध भारतीय न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री और आदेशों का किस प्रकार निष्पादन करा सकती हूं?**

## सिविल मामले में निष्पादन

निष्पादन प्रक्रिया डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में शुरू की जाती है अर्थात ऐसी प्रक्रिया कुटुम्ब न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय में चलाई जा सकती है जिनके पास डिक्री/आदेश का निष्पादन न किए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति की संपत्ति की जब्ती, उसकी गिरफ्तारी आदि की शक्तियां निहित हैं।

### क. यदि संबंधित पक्षकार हिंदू हों

धारा 36 से 67, 73, 74 और 135 के साथ पठित हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28क तथा सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XXI डिक्री के निष्पादन को शासित करते हैं। इस संबंध में महत्त्वपूर्ण चरण हैं:

(i) डिक्री पारित किए जाने के तत्काल पश्चात किए गए आवेदन को छोड़कर उसके निष्पादन हेतु प्रत्येक आवेदन फार्म संख्या 6, परिशिष्ट–ङ में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए और उन पर हस्ताक्षर किए जाएं तथा उनका सत्यापन किया जाए।

(ii) निष्पादन हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर तत्काल उस पर न्यायालय के लिपिक या न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी ऐसे अधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख डाल दी जाएगी।

(iii) चल संपत्ति की जब्ती के लिए आवेदन के साथ जिस संपत्ति की जब्ती की जानी है, उससे संबंधित पूरा विवरण और उसके नाम को दर्शाते हुए एक अनुबंध संलग्न किया जाएगा।

(iv) अचल संपत्ति की जब्ती के लिए संपत्ति के संबंध में पर्याप्त ब्योरों का उल्लेख किया जाए ताकि उसकी पहचान की जा सके और उसमें पति/निर्णीत ऋणी के हिस्से का उल्लेख किया जाए।

(v) यदि आवेदन मृतक डिक्रीधारक के उत्तराधिकारी द्वारा दिया जाता हो तो उसके साथ एक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।

(vi) डिक्री के निष्पादन हेतु किए गए प्रत्येक आवेदन को न्यायाधीश के समक्ष आदेश हेतु यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत किया जाए तथा यदि इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई विशेष आदेश न दिया गया हो तो इसे आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 5 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाए।

### ख. विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत

धारा 36 से 67, 73, 74 और 135 के साथ पठित विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 39क तथा सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XXI डिक्री के निष्पादन को शासित करते हैं। इस संबंध में अपनाए जाने वाले चरण हिंदू विवाह अधिनियम के संबंध में उपर्युक्त प्रक्रिया के समान हैं।

**भारतीय न्यायालयों द्वारा जारी न्यायिक आदेशिका की तामील के लिए यह सलाह दी जाती है कि गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय या विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा निष्पादनीय कम से कम 6 महीने तक वैध नया नोटिस प्राप्त किया जाए।**

### ग. विदेश के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री का भारत में तथा भारतीय न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री का भारत से बाहर निष्पादन

भारत से बाहर स्थित न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री का भारतीय न्यायालयों द्वारा निष्पादन तथा भारतीय न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री का भारत से बाहर स्थित न्यायालयों द्वारा निष्पादन तभी संभव है यदि इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए गए हों। सामान्य नियम यह है कि एक देश का न्यायालय दूसरे देश के न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन नहीं करता तथा विदेश के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को लागू कराने के लिए वाद शुरू करना आवश्यक होता है।

# बच्चों की अभिरक्षा

**प्रश्नः क्या अनिवासी भारतीय के साथ विवाह में कुटुम्ब विवादों के मामले में बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में न्यायनिर्णयन का भारतीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है?**

अनिवासी भारतीय कुटुम्ब के वैवाहिक विवाद में और विशेषकर अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। यदि विदेश के किसी न्यायालय द्वारा पहले से ही कोई आदेश या डिक्री पारित कर दी गई हो तो ऐसे मामलों में किसी याचिका पर विचार करने में भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के लिए अधिकांशतः "न्यायालयों के सौहार्द" का सिद्धांत आड़े आ जाता है।

अपने अनिवासी भारतीय/प्रवासी पति द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाएं जो भारत में अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, के लिए रुचि माजू बनाम संजीव माजू के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में दिनांक 16.05.2011 को दिया गया निर्णय एक आशा की किरण लेकर आया है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय न्यायालयों को अवयस्क बच्चों के अभिरक्षा संबंधी विवादों से संबंधित मामलों को देखने का क्षेत्राधिकार है, चाहे विदेश स्थित किसी न्यायालय द्वारा माता–पिता में से किसी के भी पक्ष में पहले से ही कोई निर्णय पारित कर दिया गया हो। न्यायमूर्ति वी एस सिरपुरकर और टी एस ठाकुर की खंड पीठ ने एक फैसले में यह कहा कि केवल किसी अवयस्क बच्चे के कल्याण से संबंधित किसी पहलू को ध्यान में रखकर विदेश स्थित किसी न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाए जाने का आधार ही इस देश के न्यायालयों के लिए संबंधित मामले में कोई स्वतंत्र रूप से विचार न करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। ऐसे मामलों में दयनीय समर्पण को नहीं बल्कि वास्तविकता को मंत्र माना जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने यह निर्णय रुचि माजू द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आशय के निर्णय कि भारतीय न्यायालय "न्यायालयों के सौहार्द" के सिद्धांत के अंतर्गत ऐसी किसी याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखते जिसमें किसी विदेश स्थित न्यायालय द्वारा पहले से ही डिक्री या आदेश पारित कर दिया गया हो, को चुनौती देते हुए की गई अपील को स्वीकार करते हुए दिया।

कैलिफोर्निया के एक वरिष्ठ न्यायालय ने रुचि के खिलाफ उससे अलग रहे रहे उसके अमेरिका निवासी पति संजीव माजू द्वारा दायर किए गए एक वाद में, जिसमें उसने यह आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी उनके अवयस्क पुत्र को लेकर भारत चली गई है जबकि अमेरिका के एक न्यायालय ने उसे उस बच्चे की अभिरक्षा प्रदान की है, रुचि के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।

रुचि के वर्ष 2008 में भारत लौटने से पूर्व यह दंपति अमेरिका में अपने बच्चे के साथ रह रहा था। दिल्ली के एक न्यायालय ने

**संयुक्त राज्य अमेरिका में यदि आप या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, घरेलू हिंसा का शिकार है या उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो यह जान लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तत्काल सहायता और समर्थन उपलब्ध है। घरेलू हिंसा का कृत्य कानून के विरुद्ध है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है।**

**संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अपने टेलीफोन से 911** पर डायल करना अपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए सहायता प्राप्त करने का सबसे तीव्र तरीका है। इन तीन नंबरों की सहायता से आप अग्निशमन, पुलिस या एंबुलैंस की सेवा प्राप्त कर सकती हैं। यदि आप 911 पर कॉल करती हैं तो एक आपातकालीन आपरेटर तत्काल आपका संपर्क उस व्यक्ति से करा देता है जिसकी आपको आवश्यकता है।

**राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हॉटलाइन**

**फोनः 1–800–799–एसएएफई (7233)**

**वेबसाइट : *www.thehotline.org/***

यहां प्रतिदिन चौबीसों घंटे प्रशिक्षित परामर्शदाता उपलब्ध होते हैं जो संकटकाल में सहायता तथा आश्रय गृह, कानूनी परामर्श, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र और परामर्श आदि के बारे में सूचना उपलब्ध करा सकते हैं।

**(यहां हिंदी, पंजाबी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगू, तमिल, नेपाली सहित अनेक भाषाओं में परामर्श उपलब्ध है)**

- **मानवी** (एन.जे. में अवस्थित) (732) 435–1414 या *http://www.manavi.org/index/php*
- न्यू यार्क एशियन वूमेन सेंटर (न्यू यार्क में अवस्थित किंतु अमेरिका में किसी भी जगह लोगों के साथ कार्य कर रही संस्था) बहु–भाषी हॉटलाइनः 1–888–888–7702 या *www.nyawc.org/index.html*
- एशियन टास्क फोर्स अंगेस्ट डोमेस्टिक वायलेन्सः (बॉस्टन/न्यू इंग्लैंड एरिया)
  बहु–भाषी हॉटलाइनः (617) 338–2355 या
  *www.atask.org/site/our-programms/multilingual-helpline.html*
- **सहेली (बॉस्टन/न्यू इंग्लैंड एरिया)**
  हॉटलाइनः 1–866–4*SAHELI* या
  *http://www.saheliboston.org/*
- **मैत्री** (सान जोस, कैलिफोर्निया में अवस्थित, अलामेडा, सांता क्लारा और सान मैटेओ देशों में सेवाएं उपलब्ध कराती है, किंतु अमेरिका में किसी भी स्थान के लोगों से बातचीत करती हैः भारत से **की जाने वाली कॉलों को भी अटेंड** करती है)
  बहु–भाषी हॉटलाइनः 1–888–मैत्री या
  *www.maitri.org/*

रुचि के आवेदन पर उसे संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत बच्चे की अभिरक्षा सौंपी थी।

तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया तथा दंपति को कैलिफोर्निया की अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा क्योंकि तीनों के पास अमेरिकी नागरिकता थी।

इससे व्यथित होकर पत्नी ने शीर्ष न्यायालय में अपील की, जहां उसने अपने पति पर अश्लील साहित्य तथा पर स्त्री से संबंध में संलिप्त होने का आरोप लगाया। पति ने आरोपों से इनकार करते हुए यह कहा कि भारतीय न्यायालय के पास इस संबंध में निर्णय करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि इस बारे में कैलिफोर्निया की अदालत द्वारा पहले ही आदेश पारित किया जा चुका है।

पति के तर्कों को खारिज करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा "विदेश के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री और आदेशों को मान्यता प्रदान करना जब ऐसा करने की मांग की जाए, एक शाश्वत धर्मसंकट बना रहता है, इस देश के न्यायालय 1999 और 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा यथासंशोधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसी डिक्री और आदेशों की वैधता को तय करने के लिए बाध्य हैं।"

अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में अपने वैधानिक संरक्षक से संबंधित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय का कर्त्तव्य और अधिक दुर्भर हो जाता है। ऐसे मामलों में चूंकि अवयस्क बच्चे का कल्याण सर्वाधिक विचारणीय होता है, न्यायालय को विदेश के न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश की वैधता और उसे लागू करने से संबंधित मामले पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ता है। तथापि, इसका अर्थ यह नहीं है कि विदेश के न्यायालय द्वारा पारित आदेश को भारतीय न्यायालयों द्वारा सम्मान दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु विदेश स्थित न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय को उपयुक्त मानना एक बात है तथा इसे अंतिम निर्णय करने के लिए एक कारक मानना या इस पर विचार करना एक दूसरी बात है।

शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर पुनः बल दिया कि अभिरक्षा से संबंधित अधिकारों पर विचार करने के मामलों में अवयस्क बच्चे का हित सर्वोपरि होना चाहिए। न्यायालय की पीठ ने यह कहा कि बच्चे का बेहतर रूप में तभी हितसाधन हो सकता है यदि वह अपनी माता की अभिरक्षा में रहे, विशेषकर तब जबकि पिता ने दूसरी शादी कर ली है और वह बच्चे की वास्तविक अभिरक्षा लेने के लिए इच्छुक प्रतीत नहीं हो रहा है। तथापि, शीर्ष न्यायालय ने बच्चे के मन में उसके पिता के विरुद्ध जहर घोलने में पत्नी तथा उसके माता–पिता के आचरण पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कोई शब्द नहीं कहा।

रुचि माजू बनाम संजीव माजू के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.05.2011 के निर्णय (विस्तृत निर्णय संलग्न है), जिसमें यह कहा गया कि भारत के सिविल न्यायालय ऐसे मामलों पर न्यायनिर्णयन के लिए पूर्णतः सक्षम हैं, का अंतर–महादेशीय विवाह विवादों, विशेषकर जिनमें भारतीय महिलाओं का अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति से विवाह होता हो, में अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में निर्णय करने के लिए दूरगामी प्रभाव होगा।

### *मिलने का अधिकार*

***मेरे पति मेरे पुत्र को अपने साथ कनाडा ले गए और मुझे भारत में छोड़ दिया। भारत का न्यायालय मुझे अपने बच्चे से मिलने का अधिकार कैसे प्रदान कर सकता है?***

*भारत में तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली के सुरक्षित परिसर में एक नई सुविधा उपलब्ध है जिसमें न्यायालय के आदेश पर आप (माता–पिता) वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए भारत से ही अपने बच्चे से संपर्क/बातचीत कर सकती हैं/मिल सकती है तथा बच्चा भी, यदि माता–पिता विदेश में हों तो उनसे संपर्क/बातचीत कर सकता/मिल सकता है।*

## प्रवासी भारतीय/विदेशी पति द्वारा परित्यक्त भारतीय महिला को विधिक/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम (30 नवंबर, 2011 से संशोधित)

**प्रश्नः मुझे मेरे पति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में परित्यक्त कर दिया और अमेरिका के न्यायालय में तलाक की कार्यवाही तथा बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित मामला चलाया है। मैं इन कानूनी कार्यवाहियों के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हूं। क्या मेरे लिए कोई सहायता उपलब्ध है?**

विदेश में अपने प्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के/विदेशी पति द्वारा परित्यक्त महिला को विधिक/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के कार्यक्षेत्र में विस्तार के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने 30 नवंबर, 2011 से इस स्कीम को संशोधित कर दिया है। इस स्कीम के अंतर्गत, परामर्श और कानूनी सेवाएं ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिज्ञात ऐसे विश्वसनीय भारतीय महिला संगठनों/ भारतीय समुदाय की एसोसिएशनों और गैर–सरकारी संगठनों के जरिए प्रदान की जाएंगी जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया और खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशनों के पैनल पर रखे गए हों।

इस स्कीम का विस्तृत ब्योरा तथा विभिन्न मिशनों के पैनल पर रखे गए गैर–सरकारी संगठनों/भारतीय महिला संगठनों/भारतीय समुदाय की एसोसिएशनों की सूची निम्नानुसार हैः

### I. उद्देश्यः

इस स्कीम का उद्देश्य अपने प्रवासी भारतीय/विदेशी पति द्वारा परित्यक्त विपदाग्रस्त जरूरतमंद महिला को परामर्श और विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पात्रता के संदर्भ में "परित्याग" का आशय पति द्वारा अपनी पत्नी को स्वेच्छा से अकेली छोड़ देना होगा। इसके साथ ही, यदि पति अपने शब्दों के द्वारा पत्नी को वैवाहिक गृह छोड़ने के लिए बाध्य करता हो या बिना किसी उचित कारण के घर से बाहर रहता हो तो वह पत्नी के परित्याग का दोषी होगा बावजूद इसके कि ऐसा प्रतीत होता हो कि पत्नी उससे पृथक रह रही है। प्रायः परित्याग किए जाने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी को कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती जिसका आशय यह है कि उसे आर्थिक संसाधन से विलग कर दिया गया है जिस पर उसका अधिकार है। "प्रवासी भारतीय" की परिधि में अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल होंगे। परामर्श और कानूनी सेवाएं ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिज्ञात ऐसे विश्वसनीय भारतीय महिला संगठनों/ भारतीय समुदाय की एसोसिएशनों और गैर–सरकारी संगठनों के जरिए प्रदान की जाएंगी जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया और खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशनों के पैनल पर रखे गए हों। यह स्कीम विपदाग्रस्त भारतीय महिलाओं को स्थानीय भारतीय समुदाय के प्रयास तथा सरकार से कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनके लिए चलाई जा रही एक कल्याणकारी स्कीम है।

### II. स्कीम का कार्यक्षेत्र और पात्रताः

यह स्कीम प्रवासी भारतीय/विदेशी पति द्वारा परित्यक्त या विदेश में तलाक की कार्यवाही का सामना कर रही भारतीय महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगीः

(i) महिला भारतीय पासपोर्टधारक हो;

(ii) महिला का विवाह किसी प्रवासी भारतीय या विदेशी के साथ भारत या विदेश में संपन्न हुआ हो;

(iii) महिला को विवाह के पंद्रह वर्ष के भीतर भारत या विदेश में परित्यक्त कर दिया गया हो; या

(iv) तलाक की कार्यवाही उसके प्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के/विदेशी पति द्वारा विवाह के पंद्रह वर्ष के भीतर शुरू की गई हो;

या

(v) प्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के/विदेशी पति द्वारा विवाह के बीस वर्ष के भीतर एकपक्षीय तलाक ले लिया गया हो और भरण–पोषण/निर्वाह व्यय से संबंधित मामला अभी दायर किया जाना हो।

(vi) यह स्कीम ऐसी महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले से संबंधित निर्णय किया गया हो, किंतु बच्चे को भगा ले जाने से संबंधित आपराधिक आरोप इस मामले में अवरोधक नहीं होगा, यदि उस बच्चे की अभिरक्षा का मामला अभी तक निर्णीत न हुआ हो। इस प्रयोजनार्थ "माता द्वारा बच्चे को भगा ले जाने" की परिभाषा माता द्वारा बच्चे की अप्राधिकृत अभिरक्षा के रूप में दी जाएगी जो बच्चे के पिता की सहमति के बिना हो और कुटुम्ब कानून के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधान के विरुद्ध हो, जिसके अंतर्गत बच्चे को पिता और परिवार पक्ष के द्वारा देखभाल, पहुंच और संपर्क स्थापित करने से व्यापक रूप में वर्जित किया गया हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे को भगा लेने जाने की घटना तब मानी जाती है जबकि बच्चे या बच्चों को माता या उसके पिता में से कोई भी एक, कोई संबंधी या कोई जानकार अभिरक्षा के संबंध में दी गई डिक्री या बच्चे से मिलने/भेंट करने के संबंध में दिए गए आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने साथ लेकर देश छोड़कर चला जाता है। एक अन्य संबद्ध स्थिति यह है कि बच्चों को छुट्टी के दौरान किसी अन्य देश में ले जाकर उन्हें वहीं रोक लिया जाए और उन्हें वापस न भेजा जाए"। इस स्कीम के संदर्भ में "माता द्वारा बच्चे को भगा ले जाने" से संबंधित आपराधिक आरोप का आशय प्राथमिकी या इसके समकक्ष कोई अन्य आरोप दायर करने पर पुलिस प्राधिकारियों द्वारा माता के विरुद्ध आरोप तय करना होगा।

(vii) इस स्कीम के अंतर्गत राहत की मांग कर रही महिला कहां की निवासी है, यह प्रश्न स्कीम के अंतर्गत उसे लाभ प्रदान करने के लिए संगत नहीं है। संबंधित महिला आवेदन करने के समय अपने प्रवासी भारतीय/ विदेशी पति के देश की निवासी या भारतीय निवासी भी हो सकती है।

(viii) आवेदनों को वित्तीय आवश्यकता के आधार पर वरीयता दी जाएगी।

(ix) विदेश में स्थित मिशनों/पोस्टों के प्रमुख द्वारा सहायता राशि कानूनी और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट के पैनल पर रखे गए आवेदक के कानूनी सलाहकार को सीधे या विदेश में स्थित कानूनी संस्था में महिला की ओर से कार्रवाई करने वाले भारतीय समुदाय की एसोसिएशन/ महिला संगठन/ गैर–सरकारी संगठनों' के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

(x) सहायता की राशि विकसित देशों के संबंध में प्रति मामला 3000 अमेरिकी डालर और विकासशील देशों के संबंध में प्रति मामला 2000 अमेरिकी डालर तक सीमित होगी और आवेदक के कानूनी सलाहकार जो पैनल पर हों या भारतीय समुदाय की एसोसिएशनों/ महिला संगठनों/ गैर–सरकारी संगठनों को जारी की जाएगी ताकि वे मामले को दायर करने के लिए दस्तावेज तैयार करने और अन्य प्रकार की तैयारी के लिए महिला की सहायता कर सकें।

(xi) भारतीय महिला संगठन/भारतीय समुदाय की एसोसिएशनों/गैर–सरकारी संगठन न्यायालय आदि में अतिरिक्त कानूनी सहायता/उपस्थिति के लिए भारतीय समुदाय के अधिवक्ताओं, जिनमें महिला अधिवक्ताओं को वरीयता दी जाए, के नामों की सूची बिना कोई पारिश्रमिक लिए तैयार करने का प्रयास करेंगे।

**टिप्पणी:** * गैर–सरकारी संगठनों में विदेश में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों के पैनल पर स्थित स्थानीय गैर–सरकारी संगठन भी शामिल होंगे।

**प्रश्नः मेरे पति ने अमेरिका के न्यायालय में मेरे विरुद्ध बच्चे को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए मामला दायर किया है। क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की परित्यक्त महिलाओं से संबंधित स्कीम के द्वारा मुझे कोई सहायता उपलब्ध हो सकती है?**

**हां।** प्रवासी भारतीय/विदेशी पति द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को विधिक/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम 30 नवंबर, 2011 से संशोधित कर दी गई है। संशोधित स्कीम के अंतर्गत, यह स्कीम ऐसी महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिनके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले से संबंधित निर्णय किया गया हो, किंतु बच्चे को भगा ले जाने से संबंधित आपराधिक आरोप इस मामले में अवरोधक नहीं होगा, यदि उस बच्चे की अभिरक्षा का मामला अभी तक निर्णीत न हुआ हो।

इस प्रयोजनार्थ "माता द्वारा बच्चे को भगा ले जाने" की परिभाषा माता द्वारा बच्चे की अप्राधिकृत अभिरक्षा के रूप में दी जाएगी जो बच्चे के पिता की सहमति के बिना हो और कुटुम्ब कानून के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधान के विरुद्ध हो, जिसके अंतर्गत बच्चे को पिता और परिवार पक्ष के द्वारा देखभाल, पहुंच और संपर्क स्थापित करने से व्यापक रूप में वर्जित किया गया हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे को भगा लेने जाने की घटना तब मानी जाती है जबकि बच्चे या बच्चों को माता या उसके पिता में से कोई भी एक, कोई संबंधी या कोई जानकार अभिरक्षा के संबंध में दी गई डिक्री या बच्चे से मिलने/भेंट करने के संबंध में दिए गए आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने साथ लेकर देश छोड़कर चला जाता है। एक अन्य संबद्ध स्थिति यह है कि बच्चों को छुट्टी के दौरान किसी अन्य देश में ले जाकर उन्हें वहीं रोक लिया जाए और उन्हें वापस न भेजा जाए"। इस स्कीम के संदर्भ में "माता द्वारा बच्चे को भगा ले जाने" से संबंधित आपराधिक आरोप का आशय प्राथमिकी या इसके समकक्ष कोई अन्य आरोप दायर करने पर पुलिस प्राधिकारियों द्वारा माता के विरुद्ध आरोप तय करना होगा।

प्रवासी पति द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को विधिक/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विदेश में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों के पैनल पर रखे गए भारतीय महिला संगठनों/भारतीय समुदाय की एसोसिएशनों/गैर–सरकारी संगठनों की सूची

## संयुक्त राज्य अमेरिका

**भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डी सी, संयुक्त राज्य अमेकिर**

**आशा** (एशियाई महिलाओं की स्व–सेवा एसासिएशन),
पोस्ट बॉक्स नं.2084, रॉक विले, एम डी 20847–2084
ई–मेलः asha@ashaforwomen.org

**भारत का महावाणिज्य दूतावास (कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया), सान फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका**

**(i) एमएआईआरआई**
234, ईस्ट गिश रोड, सुइट 200,
सान जोस, सीए 95112
ई–मेलः anu@worldwideibs.com

**(ii) एनएआरआईकेए**
पोस्ट बॉक्स नंबर 1404, बर्कले, सीए 94714
ई–मेलः narika@narika.org

**(iii) सेवा लीगल एड**
37053, चेरी स्ट्रीट नंबर 207, नेवार्क, सीए 94560
ई–मेलः anu@worldwideibs.com

**भारत का महावाणिज्य दूतावास (कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया), न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका**

**(i) साखी,** न्यूयार्क
ई–मेलः contactus@sakhi.org

**(ii) अवेक** (एशियन वूमेन्स एलायन्स फॉर किनशिप एंड इक्वैलिटी)

**(iii) मानवी,** न्यू जर्सी
ई–मेलः manvi@manvi.org

**(iv) सेवा** (सर्विस एंड एजुकेशन फॉर वूमेन अंगेस्ट एब्यूज), फिलाडेल्फिया
ई–मेलः sewaa@sewaa.net

**(v) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बुफेलो**
ई–मेलः iib@iibuff.org

**(vi) एशियन वूमेन्स सेफ्टी नेट**

**(vii) स्नेहा इनकॉर्पोरेटेड**
पोस्ट बॉक्स नं.271650, वेस्ट हार्टफोर्ड, सी टी–06127
ई–मेलः sneha@sneha.org

**भारत का महावाणिज्य दूतावास (कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया), शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका**

**अपना घर इनकॉर्पोरेटेड (ऑर होम)** शिकागो
ई–मेलः info@apnaghar.org

**भारत का महावाणिज्य दूतावास (कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया), ह्युस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका,**

**दया इनकॉर्पोरेटेड,** 5890 पॉइंट वेस्ट डी आर, ह्युस्टन टीएक्स 77036
ई–मेलः info@dayahouston.org

## कतर

**भारतीय दूतावास, दोहा, कतर**

**इंडियन कम्युनिटी बेनेवोलेंट फंड (आईसीबीएफ),** दोहा, कतर
ई–मेलः benevolent@hotmail.com

## ऑस्ट्रेलिया

**भारतीय उच्चायोग, कैनबरा/भारत का महावाणिज्य दूतावास, मेलबोर्न**

**(i) दॅ इंडियन वेल्फेयर एंड रिसोर्सिस सेंटर (आईडब्ल्यूआरसी),**
फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ विक्टोरिया का कल्याण विंग,
मेलबोर्न
ई–मेलः anu@worldwideibs.com

**(ii) फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएट्स ऑफ विक्टोरिया (एफआईएवी),**
मेलबोर्न
ई–मेलः operations@fiav.asn.au

**(iii) फेडरेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटीज ऑफ क्वीन्सलैंड इनकॉर्पोरेटेड (एफआईसीक्यू),**
ब्रिसबेन,
ई–मेलः surendera1@bigpond.com

**भारत का महावाणिज्य दूतावास (कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया), सिडनी, ऑस्ट्रेलिया**

यूनाइटेड इंडियन एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 575,
स्ट्रैटफिड, एनएसडब्ल्यू 2135,
ई–मेलः austrasia@iprimus.com.au

## कनाडा

**भारतीय उच्चायोग, ओटावा, कनाडा**

**(i) इंडियन कनाडा एसोसिएशन**
1301, प्रेस्टोन ड्राइव, ओटावा, ओएन के1ई, 2जैड2
ई–मेलः anu@worldwideibs.com

**(ii) ओटावा कम्युनिटी इम्मीग्रैंट सर्विसेज आर्गेनाइजेशन**
959, विलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट, ओटावा, ओएन के1वाई 2एक्स5
ई–मेलः info@ociso.org

**(iii) नेशनल एसोसिएशन ऑफ कनाडियन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन,**
24, सेंट पॉल ईस्ट, सुइट 201, मांट्रियल, क्यूसी एच2वाई 1जी3
ई–मेलः anu@worldwideibs.com

**(iv) एडब्ल्यूआईसी कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज,**
3030, डॉन मिल्स रोड, पीनट प्लाजा, नॉर्हट यार्क, ओएन एम2जे 3सी1
ई–मेलः anu@worldwideibs.com

## बहरीन

**भारतीय दूतावास, बहरीन माइग्रैंट वर्कर्स प्रोटेक्शन सोसाइटी (एमडब्ल्यूपीएस),**
पोस्ट बॉक्स नंबर 5561, फ्लैट नंबर 2, भूतल, बिल्डिंग 647,
रोड 3625, अदलिया, एरिया 326, किंडगम ऑफ बहरीन,
दूरभाष सं.+973–17827895, फैक्सः +973–17827895

## न्यूजीलैंड

**भारतीय उच्चायोग**
वेलिंगटन, न्यूजीलैंड, शक्ति कम्युनिटी काउंसिल इनकॉर्पोरेटेड, ऑकलैंड,
ई–मेलः scc@shakti.org.nz

## यूनाइटेड किंगडम

**भारतीय उच्चायोग, लंदन, यूनाइटेड किंगडम**
गुड ह्युमन फाउंडेशन, 42, ईटन हाउस, 39–40,
अपर ग्रासवेनर स्ट्रीट, लंदन डब्ल्यू1के2एनजी
ई–मेलः anu@worldwideibs.com
मेलः @goodhumanfoundation.org.uk

# राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)

**किसी ने सलाह दी है कि मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ (एनआरआई सेल) के समक्ष जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार मेरी सहायता कर सकता है?**

राष्ट्रीय महिला आयोग को "अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा" विषय पर महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय समिति (14वीं लोक सभा) की सिफारिशों, जिस पर 07 जुलाई 2008 को हुई अंतर्मंत्रालयीय समिति की बैठक में विचार–विमर्श किया गया, के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 28 अप्रैल 2009 के पत्र संख्या ओआई–19021/3/2006–एसएस द्वारा अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह से संबंधित मामलों को देखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

इस दिशा में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के परिसर में 24 सितंबर, 2009 को अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ का औपचारिक रूप में उद्घाटन किया गया। अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ भारत और विदेशों से प्राप्त ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करता है जिनमें महिलाओं के अधिकारों की वंचना अंतर्निहित हो अथवा महिलाओं के साथ घोर अन्याय से संबंधित कोई मामला शामिल हो। इसके गठन के पश्चात अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में 30 नवंबर, 2011 तक 796 मामले दर्ज कराए गए हैं। विभिन्न कारणों से आयोग में अब तक इनमें से 101 मामले बंद कर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में शिकायतों के पंजीकरण के पश्चात शिकायत की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाइयां की जाती हैं:

(i) यदि शिकायतों की जांच के पश्चात उसका संज्ञान लिया जाता हो तो विरोधी पक्ष/पक्षों को नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे आयोग को प्राप्त शिकायतों के संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा या विरोधी पक्ष/पक्षों को समन भेजकर उन्हें समन में निर्धारित तारीख को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रखने के लिए कहा जाएगा।

(ii) यदि कोई मामला जांच के लिए लंबित पड़ा हो या संबंधित मामले में पंजीकृत शिकायत पर उपयुक्त कार्रवाई नहीं की गई हो तो इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित पुलिस थाने को पत्र लिखा जाएगा।

(iii) यदि ऐसा लगे कि शिकायत को विदेश में स्थित भारतीय दूतावास को भेजा जाना है तो उस शिकायत के संबंध में ऐसी कार्रवाई की जाएगी।

(iv) यदि किसी भी मामले में अपेक्षित हो, तो उपयुक्त न्यायालय द्वारा पारित समन, जारी किए गए वारंट या कोई अन्य आदेश तथा किसी अन्य संबंधित मामलों के संबंध में संबंधित पक्ष को पत्र हस्तगत कराने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय को विधिवत पत्र लिखा जाए और इस संबंध में शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया जाए।

(v) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीम के अनुसार पीड़िता को कानूनी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा जाए।

(vi) पासपोर्ट से संबंधित किसी मामले में पासपोर्ट अधिकारी को पत्र लिखा जाए।

(vii) यदि आवश्यक हो, तो पीड़िता पत्नी की शिकायत को प्रतिवादी पति के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उसके नियोजक को भेजा जा सकता है।

**राष्ट्रीय महिला आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ (NRI CELL) का संपर्क विवरण**

**अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ (NRI CELL), राष्ट्रीय महिला आयोग,**
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली – 110002
दूरभाष : +91–11–23234918/23236154/23236988
फैक्स : +91–11–23236154/23236988, ई–मेल: nricell-ncw@nic.in

## महिला अपराध प्रकोष्ठ

महिला अपराध प्रकोष्ठ केंद्रीय स्तर पर 1983 में दिल्ली पुलिस में गठित किया गया। यह भारत में और संभवतः विश्व में कहीं भी, विशेष रूप से महिलाओं के लिए पुलिस द्वारा शुरू किया गया इस प्रकार का पहला प्रकोष्ठ था।

वर्ष 1986 में दिल्ली के 9 जिलों में से प्रत्येक जिले में इसी प्रकार के अलग–अलग प्रकोष्ठ स्थापित किए गए। इसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली पुलिस के केंद्रीय महिला अपराध प्रकोष्ठ में अधिक संख्या में कार्यबल तथा बेहतर अवसंरचना उपलब्ध कराई गई है तथा इसे अधिक उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं। परिवारों को परामर्श सेवा उपलब्ध कराना इन प्रकोष्ठों के कार्यकरण का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। हालांकि पहले यह अनौपचारिक स्वरूप का था और अनेक लोगों द्वारा इसका यह कहकर विरोध किया गया कि परामर्श देना पुलिस का कार्य नहीं है, किंतु अब यह एक संस्वीकृत क्रियाकलाप बन चुका है तथा यहां परामर्श देने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं एवं इसे सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा मान्यताप्राप्त गैर–सरकारी एजेंसियों से सहायता प्राप्त हो रही है।

चुनिंदा मामलों में अन्वेषण का कार्य प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा किया जाता है जबकि उनके द्वारा पंजीकृत अन्य मामलों की प्रगति पर उन पुलिस थानों में निगरानी रखी जाती है जहां उन मामलों में जांच की जा रही होती है। केंद्रीय प्रकोष्ठ जिला प्रकोष्ठों के कार्यकरण पर आवधिक मूल्यांकनों और बैठकों के जरिए निगरानी रखता है। हालांकि ये प्रकोष्ठ प्रचालनात्मक दृष्टि से जिन जिलों में हैं, उनके पर्यवेक्षकों के नियंत्रण में आते हैं। महिला शिकायतकर्ता अपनी इच्छानुसार या तो केंद्रीय प्रकोष्ठ में या अपने घर के निकट स्थित जिले के प्रकोष्ठ में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

**महिला अपराध प्रकोष्ठ तथा महिला थाने पूरे भारत में अवस्थित हैं। अपने निकटतम स्थित ऐसे प्रकोष्ठ और थाने के संबंध में जानकारी प्राप्त करें।**

**हेल्पलाइन नंबर: 1091, 100 चौबीसों घंटे काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर है जहां कॉल करके विपदाग्रस्त महिलाएं सहायता प्राप्त कर सकती हैं।**

# हेल्पलाइन : आपातकालीन संपर्क सूत्र

## विदेश

**संयुक्त राज्य अमेरिका**

**भारतीय दूतावास**

चान्सेरी 2107 मैसाच्युसेट्स एवेन्यू, एन डब्ल्यू वाशिंगटन, डी सी 20008

दूरभाष : (202) 939–7000, फैक्स : (202) 265–4351

**दूतावास के कार्य के घंटे : 9.30 बजे पूर्वाह्न – 6.00 बजे अपराह्न ईएसटी**

**वाणिज्यदूतीय (कांसुलर) विंग**

2536 मैसाच्युसेट्स एवेन्यू, एन डब्ल्यू वाशिंगटन, डी सी 20008

फैक्स : (202) 797–4693

**आपातकालीन आपरेटर हेल्पलाइन : 911**

राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हॉटलाइन : 1–800–799–7233

(वेबसाइट : www.thehotline.org)

यहां चौबीसों घंटे प्रशिक्षित परामर्शदाता उपलब्ध होते हैं जो संकट की स्थिति में पीड़ित पक्ष को सहायता उपलब्ध कराते हैं। प्रचालक के पास भाषांतरण सेवा की सुविधा उपलब्ध है तथा यहां से अनेक भारतीय भाषाओं में बातचीत हो सकती है।

**कनाडा**

**भारतीय उच्चायोग**

10, स्प्रिंग फील्ड रोड, ओटावा, ओनटारियो, कनाडा के 1 एम 1सी 9

दूरभाष : 613 744 3751, 613 744, 3752, 613 744 3753

फैक्स : 613 744 0913, ई–मेल : hicomind@hciottawa.ca

**आपातकालीन आपरेटर हेल्पलाइन : 911**

(प्रचालक के पास भाषांतरण सेवा की सुविधा उपलब्ध है तथा यहां से अनेक भारतीय भाषाओं में बातचीत हो सकती है।)

**यूनाइटेड किंगडम (यू के)**

**भारतीय उच्चायोग**

इंडिया हाउस, ऐल्डविच, लंदन डब्ल्यू सी 2बी 4एनए

दूरभाष : 020 7836 8484, 020 7632 3123 (कार्यालय समय के बाद)

फैक्स : 020 7836 4331, ई–मेल : administration@hcilondon.in

दूतावास के कार्य के घंटे : 9.15 बजे पूर्वाह्न से 5.45 बजे अपराह्न

**आपातकालीन संपर्क नंबर : 999 या 112**

999 और 112 टेलीफोन नंबरों पर किसी भी फोन से बातचीत की जा सकती है। 999 या 112 नंबरों को मिलाने पर कॉल करने वाले का संपर्क बी टी, केबल एंड वायरलेस, रेल नेट, या किंगस्टन कम्युनिकेशंस जैसे दूरसंचार ऑपरेटर से हो जाता है और ऑपरेटर कॉलकर्ता से यह पूछता है कि उसे किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है। ऑपरेटर 170 भाषाओं में भाषांतरण सेवाएं उपलब्ध करा सकता है।

**आस्ट्रेलिया**

**भारतीय उच्चायोग**

3–5, मूनाह प्लेस, यारालुमला, एसीटी–2600

दूरभाष : +61–262733999, फैक्स : +61–262731308

**आपातकालीन संपर्क :**

कृपया पहले अपनी शिकायत के बारे में बताते हुए एक एसएमएस भेजें।

एसीटी, क्वीनलैंड, पश्चिमी आस्ट्रेलिया और उत्तरी प्रादेशिक क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें:

**मिस्टर आर के कपूर, द्वितीय सचिव**

भारतीय उच्चायोग, 3–5, मूनाह प्लेस, यारालुमला, एसीटी–2600

दूरभाष : 0432 585 493–मोबाइल

न्यू साउथ वैल्स और दक्षिणी आस्ट्रेलिया के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें:

**मिस्टर गौतम राय, कांसुल (वाणिज्य दूत)**

भारत का महावाणिज्य दूतावास (कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया),

लेवल 27, 25 ब्लिघ स्ट्रीट, सिडनी, एन एस डब्ल्यू 2000 दूरभाष : 0413 770 598

विक्टोरिया और तस्मानिया के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें:

**मिस्टर राकेश वी कावड़ा, वाइस कांसुल (उप–वाणिज्य दूत)**

भारत का महावाणिज्य दूतावास (कांसुलेट जनरल ऑफ इंडिया), 344, सेंट किलड़ा रोड,

मेलबोर्न, वी आई सी–3000, दूरभाष : 0430 020 828

ब्रिसलेन के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें:

**प्रोफेसर सर्वदमन सिंह, अवैतनिक वाणिज्य दूत (ऑनरेरी कांसुल)**

ऑनरेरी कांसुलेट ऑफ इंडिया,

175ए, स्वान रोड, टैरिंगा, क्यू एल डी – 4068, दूरभाष : 0421 639 120

**आस्ट्रेलिया में एम्बुलेंस, अग्निशमन और पुलिस सेवा सहित सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए राष्ट्रीय दूरभाष नंबर "000" है।**

यदि आप इन सेवाओं की आपातकालीन स्थितियों के अतिरिक्त दैनिक मामलों में सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीक स्थित अपेक्षित सेवा के स्थानीय नंबर पर कॉल करनी चाहिए। ये नंबर और चौबीसों घंटे काम करने वाले अन्य आपातकालीन नंबर स्थानीय व्हाइट पेजेज टेलीफोन डायरेक्टरी से प्राप्त किए जा सकते हैं या आप ऑनलाइन भी आस्ट्रेलिया के व्हाइट पेजेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

**न्यूजीलैंड**

**भारतीय उच्चायोग**

लेवल 9, 180 मोलेसवर्थ स्ट्रीट पीओ बॉक्स 4045, वैलिंगटन 6015, न्यूजीलैंड

सामान्य/कांसुली सेवाओं के लिए टेलीफोन नंबर : +64–4–4736390

फैक्स नंबर : +64–4–4990665, +64–4–4737149

**न्यूजीलैंड में आपातकालीन संपर्क नंबर : 111**

## भारत

भारत स्थित विभिन्न दूतावासों के संपर्क ब्योरे

**अमेरिकी दूतावास**

शांतिपथ, चाणक्यपुरी,

नई दिल्ली–110021

दूरभाष : +91–11–2419–8000, फैक्स : +91–11–2419–0017

ई–मेल : ndwebmail.@state.gov

**कनाडा उच्चायोग**

7/8, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021

दूरभाष : +91–11–4178–2000, फैक्स : +91–11–4178–2020

ई–मेल : delhi@international.gc.ca, सीधे : delhi-im-enquiry@international.gc.ca

**ब्रिटिश उच्चायोग**

शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021

वेबसाइट : http://ukinindia.faco.gov.uk

**आस्ट्रेलिया उच्चायोग**

1/50 जी, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021

दूरभाष : +91–11–4139–9900, फैक्स : +91–11–4149–4490

ई–मेल : info.auin@vfshelpline.com

**नयूजीलैंड उच्चायोग**

सर एडमंड हिलेरी मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021

दूरभाष : +91–11–4688–3170, फैक्स : +91–11–4688–3165

ई–मेल : nzhc@airtelmail.in

# राष्ट्रीय महिला आयोग

4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

website : http://ncw.nic.in

तकनीकी सहायता

कुंदन वेल्फेयर सोसाइटी (केडब्ल्यूएस)

मूल पाठ : डॉ. (सुश्री) नरेश यादव • विधिक परामर्शदाता : श्री अभिषेक गुप्ता